[भाग ,असाधारण ,राजपत्र के भारत 2, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ में]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

सं अधिसूचना. 27/2020- केन्द्रीय कर

तारीख ,नई दिल्ली 23 मार्च, 2020

कर अधिनियम केंद्रीय माल और सेवा ,केन्द्रीय सरकार --.(अ) .नि.का.सा, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में की धारा (इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है 148 परिषद की सिफारिशों ,द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में ,पर 1.5 करोड़ रुपये तक का संकलित व्यापारावर्त रखने वाले रजिस्ट्रीकृत जो माल या सेवाओं अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे प्रस्तुत ,रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में ऐसे ,व्यक्तियों को अधिसूचित करती हैं । ,करने के लिए नीचे उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) केंद्रीय माल और ,में यथाविनिर्दिष्ट त्रैमास के दौरान प्रभावी कर अधिनियम सेवा, 2017 **प्ररुप जीएसटीआर** के अधीन**-1** उक्त में माल या सेवा अथवा दोनों की जावक पूर्ति के ब्यौरे सारिणी के स्तंभ (3) अर्थात् ,की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा तक प्रस्तुत करेंगे :-

सारणी

क्रम सं.	त्रैमास जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं ।	प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए समय अवधि ।
(1)	(2)	(3)
1	अप्रैल, 2020 जून से, 2020	31 जुलाई, 2020
2	जुलाई, 2020 सितंबर से 2020	31 अक्टूबर, 2020

3. अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति ब्यौरे या अधिसूचित की जाएगी । सीमा तत्पश्चात् राजपत्र में-विवरणी प्रस्तुत करने की समय

(सं .फा.CBEC-20/06/04/2020–जीएसटी)

(प्रमोद कुमार)
भारत सरकार ,निदेशक